मेरठ विकास प्राधिकरण

की

78 वीं बोर्ड बैठक

दिनांक : 7 -9 -2007

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण की 78वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07–9–2007 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण की 78वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07–9–2007 को कार्यालय, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के सभागार में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में अपरान्ह 12.30 बजे प्रारम्भ हुई। सर्वप्रथम उपाध्यक्ष द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में निम्नवत उपस्थिति रहीः–

1.	श्री बी0 एम0 मीना	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ	अध्यक्ष
2.	अनिल कुमार सागर	जिलाधिकारी, मेरठ	सदस्य
3.	श्री एन0 आर0 वर्मा	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ	सदस्य
4.	श्री अशोक वर्मा	नगर आयुक्त, मेरठ	सदस्य
5.	श्री एस0 के0 जमां	प्रतिनिधि–आयुक्त, एन0 सी0 आर0	सदस्य
6.	श्री आर0 के0 सिंह	अपर निदेशक, उद्योग, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ	सदस्य
7.	श्री ज्ञान सिंह	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ	सदस्य
8.	श्री राम अधार राम	उप महा प्रबन्धक विद्युत नगरीय, मेरठ	सदस्य
9.	श्री उमेश मित्तल	अधीक्षण अभियन्ता, आवास एवं विकास परिषद, मेरठ	सदस्य
10.	श्री कृपाल सिंह	अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम, मेरठ	सदस्य
11.	श्री शशि शेखर सिंह	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ	उपाध्यक्ष
12.	श्री शैलेन्द्र चौधरी	सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ	संयोजक

मद संख्या–1

प्राधिकरण की 77वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 4–8–2007 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

प्राधिकरण की 77वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 04–8–2007 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

मद संख्या–2

प्राधिकरण की 76 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या

मद सं0 4, 5 के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि शताब्दीनगर, गंगानगर एवं रक्षापुरम हेतु सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु डिजाईन व ड्राइंग के सम्बन्ध में जल निगम के अधीक्षण अभियन्ता एक माह में पूर्ण कर अवगत करायें।

मद सं0 10 बोर्ड/अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि उ0 प्र0 स्टेट टैक्संटाईल कारपोरेशन, लि0 मेरठ में स्थित कताई मिल की भूमि का ले–आउट प्लान तैयार कर एक माह में प्रस्तुत करें।

अनुपूरक प्रस्ताव 76 बोर्ड बैठक

बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण की पूर्ण विकसित योजनाऐं प्राथमिकता पर प्राधिकरण एवं नगर निगम, मेरठ बैठक कर स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित करें तथा अर्द्ध विकसित योजनाऐं सेक्टरवार विकसित करते हुये हस्तान्तरित की जायें। पेयजल योजना का हस्तान्तरण एक माह में कर दिया जाये।

मद संख्या–3

प्राधिकरण की 77 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या

मद सं0 5 के सम्बन्ध में बोर्ड को अवगत कराया गया कि मुख्यालय मेरठ सब एरिया छावनी द्वारा ग्राम सोफीपुर क्षेत्र में फायर रेन्ज क्षेत्र में शैक्षिक भू–उपयोग पर आपत्ति के सम्बन्ध में प्रबन्धक द्वारा शासन में प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है तथा शासन द्वारा यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया। बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण शासन से पैरवी कर उसका प्रत्यावेदन निरस्त कराकर अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही करें।

मद सं0 7 के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि एक माह में स्थल निरीक्षण कर, सर्वे कराते हुये अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के कृषकों से सहमति के आधार पर भूमि उपलब्धता की कार्यवाही की जाये।

मद सं0 8 एवं 9 के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि शासन में प्रभावी पैरवी की जाये।

प्राधिकरण की 78 वीं बोर्ड बैठक–

मद संख्या–4

मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजना में अनिस्तारित निर्मित/अर्द्धनिर्मित रिक्त भवनों के निस्तारण सम्बन्धी प्रस्ताव।

बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि आवासीय सम्पत्तियों की नीलामी न की जाये दुर्बल आय वर्ग, अल्प आय वर्ग के भवनों का मूल्यांकन कराते हुये 'प्रथम आओ–प्रथम पाओं' तथा शेष आय वर्ग के भवनो को शासनादेशानुसार लाटरी पद्धति से व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुये निस्तारण की कार्यवाही की जाये।

मद संख्या–5

मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजना में व्यवसायिक, हैल्थ सैन्टर/अस्पताल, बैंक/कार्यालय, टेलीफोन सर्विसेज/कार्यालय, हैल्थ सैन्टर/नर्सिंग होम व कम्युनिटी हाल/बारात घर/क्लब हेतु भूखण्ड तथा आवासीय बल्क भूखण्ड, ग्रुप हाउसिंग उपयोगार्थ आरक्षित भूखण्ड के निस्तारण सम्बन्धी प्रस्ताव।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया तथा यह निर्देश दिये गये कि परम्परागत ग्रुपहाउसिंग का डेढ गुणा आरक्षित मूल्य रखा जाये तथा व्यवसायिक, हेल्थसेन्टर/अस्पताल, बैंक/कार्यालय, शैक्षिक संस्था, टेलीफोन सर्विसेज/कार्यालय, हेल्थसेन्टर/नर्सिंग होम व कम्युनिटी हाल/बरातघर/क्लब हेतु भूखण्ड तथा आवासीय वल्क भूखण्ड सम्पत्तियों का निस्तारण शासनादेश के अनुसार आरक्षित दर निर्धारित करते हुए निविदा–सह नीलामी पद्धति से की जाये।

मद संख्या–6

प्राधिकरण क्षेत्र में वाह्य विकास शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्राधिकरण स्तर पर समिति गठित की गयी। समिति द्वारा प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि शीघ्र ही इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी किया जा रहा है। बोर्ड द्वारा यह संज्ञान में आने पर प्रस्ताव स्थगित किया गया तथा यह निर्देश दिये गये शासनादेश जारी होने तक पूर्व व्यवस्था जारी रहेगी।

मद संख्या–7

ग्रीन वुड सिटी के तलपट मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रश्नगत तलपट मानचित्र का मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, तथा प्राधिकरण के तकनीकी अधिकारियों द्वारा परीक्षण किया गया तथा स्वीकृति योग्य पाया गया। बोर्ड द्वारा तलपट मानचित्र अनुमोदित करते हुए निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण अन्य सभी औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए स्वीकृति की कार्यवाही करें।

मद संख्या–8

एरा इन्फ्रास्ट्रक्चर (इण्डिया) लि0 द्वारा प्रस्तावित गार्डनिया एस्टेट के तलपट मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रश्नगत तलपट मानचित्र में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ ने कुछ संशोधन प्रस्तावित किये गये। बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण द्वारा 10 दिन में संशोधित तलपट मानचित्र को मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से परीक्षण कराते हुए अध्यक्ष महोदय के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें तथा आगामी बोर्ड बैठक में अवगत करायेंगें।

मद संख्या–9

ग्राम नगंलाताशी कासमपुर व ग्राम दायमपुर के खसरा संख्याओं पर आवासीय तलपट मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

संदर्भित तलपट मानचित्र बोर्ड बैठक दिनांक 7–9–07 अनुपूरक मद सं0–4 के निर्देश के क्रम में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा प्राधिकरण के तकनीकी अधिकारियों द्वारा परीक्षण

किया गया बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि कालोनी हेतु मुख्य सेक्टर मार्ग 24 मीटर चौड़ा होना चाहिए जबकि स्थल पर 12 मीटर उपलब्ध है। बोर्ड द्वारा आवेदक के इस प्रस्ताव पर विचार किया गया, जिसमें 12 मीटर की अतिरिक्त भूमि को प्राधिकरण अर्जित करे तथा इसका अर्जन व्यय आवेदक द्वारा वहन किया जायेगा तथा प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया कि प्राधिकरण उपर्युक्तानुसार भूमि अर्जित कर सैक्टर मार्ग का निर्माण करें। प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

मद संख्या--10

मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दीनगर आवासीय योजना में स्थित 10 एकड भूमि आवास/फ्लैटस बनाने के लिये एयर फोर्स नेवल हाऊसिंग बोर्ड, रेस कोर्स, नई दिल्ली के पक्ष में आवंटन हेतु प्रस्ताव।

बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि एयर फोर्स नेवल हाऊसिंग बोर्ड, रेस कोर्स, नई दिल्ली को उक्त भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में वर्तमान दर एवं अन्य शर्तो से अवगत करादें, सहमति प्राप्त होने पर यथास्थित प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

अध्यक्ष महोदय एवं अन्य माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक का समापन किया गया।

(शैलेन्द्र चौधरी)
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(शशि शेखर सिंह)
उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

14/9/2007

(बी0एम0मीना)
अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।